



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-30991 वर्ष 2024

अनुज कुशवाहा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: नूर मोहम्मद, प्रीति चौधरी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, सर्वेश

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. श्री इरशाद अहमद, अधिवक्ता श्री नूर मोहम्मद, आवेदक के अधिवक्ता, श्री प्रमोद कुमार, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री सर्वेश के साथ-साथ राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-61 में धारा 302, 504, 506, 120-बी भ०द०वि०, थाना-महाराजपुर, जिला: कानपुर नगर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 3.6.2025 के आदेश के तहत अंतरिम ज़मानत दी गई थी और उसने मुकदमे में सहयोग किया है। आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप 3.7.2025 को तय किया गया था। मुकदमे के दौरान एक भी गवाह अपने बयानों के लिए पेश नहीं हुआ है। इस प्रकार, निकट भविष्य में विचारण के समापन की कोई संभावना नहीं है।
5. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता और राज्य विधि अधिकारी के अधिवक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवेदक आवेदक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लेख नहीं है कि मृतक व्यक्ति पर हमला कौन कर रहा था। आवेदक को केवल तीन महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जो सितंबर, 2025 में समाप्त हो गई थी, इस प्रकार, वह जमानत के हकदार नहीं है।

6. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 21.1.2026 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के खिलाफ 3.7.2025 को आरोप तय किया गया था और शिकायतकर्ता को समन जारी किया गया है। अभी तक एक भी गवाह सामने नहीं आया है।

7. इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के पहले के आदेश दिनांक 3.6.2025 को पूर्ण बनाया गया है।

8. आवेदक- अनुज कुशवाहा, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.